

कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अमरोहा

पत्रांक: बे0प्र0//6752-53

/2019-20

दिनांक : 25.02.2020

प्रबन्धक

ग्लोबल पब्लिक स्कूल, गजरौला रोड, धनौरा

विकास खण्ड धनौरा

जनपद अमरोहा

इस कार्यालय के पत्रांक बे0(1)/30277-81/2015-16 दिनांक 31.12.2015 के द्वारा शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के क्रम में आपके विद्यालय को दिनांक 01.07.2015 से दिनांक 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनन्तिम मान्यता प्रदान की गई थी, आपके द्वारा दिनांक 31.08.2019 को विद्यालय की स्थाई मान्यता/नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है।

शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 में व्यवस्था दी गई है कि "प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

अतः खण्ड शिक्षा अधिकारी धनौरा की संस्तुति के आधार पर एवं शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण यह मान लिया गया है कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गई है। आपके द्वारा शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 के प्रस्तर 2(i) में वर्णित शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य होगा। विद्यालय को भविष्य में भी स्थाई मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा तथा समय समय पर निर्गत किये जाने वाले मान्यता सम्बन्धी आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।



(गौतम प्रसाद)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अमरोहा

पत्रांक - बे0(2)/

/2019-20 दिनांक

प्रतिलिपि:- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अमरोहा